पी.जे.एम. अवकाश / ... [illegible]
आज ... पूर्वानुसार दिनांक 06/06/2024

06/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/वादिनी उप० वकील वादी/वादिनी वादिनी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उन्होंने पूर्व में प्रार्थना पत्र वापस लिया शपथ पत्र के साथ इस आशय के साथ पेश किया कि दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है और वादी/वादिनी वकील वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है। वादिनी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री	I identified Entry Plaintiff Mr.- Sakar lal Sharma s/o Ramkaran [signature] (Ratan lal Saini) Adv

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	रतनलाल गौड ने की। वकील वादी। वादीगण का वाद विड्रा प्रार्थना पत्र आवश्यक के स्वीकार करना चाहता है। वाद विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज करना जाता है। पत्रावली पर आज के कार्यवाही फैसला पुनः खर्चा [illegible] करना है। निर्णय आज दिनांक 06/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया [illegible] जयपुर शहर प्रथम